आर. के. वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

411

(जी. एस., संधवालिया, जे.)

जी. एस. संधवालिया से पहले, जे.

आर. के. वर्मा–याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

2017 का सीडब्ल्यूपी No. 6527

23 अगस्त, 2017

भारत का संविधान, 1950– Art. 14–हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016– RLS। 8 (26), (73) और 143–पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड–1, भाग–1–आरएलएस। हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016–त्स.23–सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे सेवा में विस्तार–जनहित और योग्यता की अनुपस्थिति में–सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 48 वर्ष है–नियम 143 के अनुसार, सेवानिवृत्ति 48 वर्ष की आयु में आती है और सेवानिवृत्ति की आयु के बाद सेवा में विस्तार की अनुमति नहीं है–यदि अनुमति दी जाती है, तो यह अगले योग्य कर्मचारी के पदोन्नति के अधिकारों को अवरुद्ध कर देगा, जिसे वरिष्ठता के अनुसार पद के लिए विचार किया जाना चाहिए–एक कर्मचारी का उच्च पद पर पदोन्नति अर्जित करने का अधिकार है कि कर्मचारी अपनी वरिष्ठता और अपने सह–कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में अच्छी तरह से जागरूक होने के लिए प्रतीक्षा करता है–सेवानिवृत्ति से परे कोई भी विस्तार सार्वजनिक हित में होना चाहिए।

और उपरोक्त के बल पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या किसी लोक हित की अनुपस्थिति में में और किसी लोक सेवक को पुनर्नियुक्ति प्रदान करते समय दर्ज की गई किसी बकाया योग्यता

की अनुपस्थिति में में, क्या वैधानिक नियमों में विशिष्ट बाधा को देखते हुए कि सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना है, पूछने पर इसकी अनुमति है।

(पैरा 2)

आगे अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि –

रोजगार केवल उस स्थिति में किया जाना है जहां लोक हित हो और असाधारण परिस्थितियां मौजूद हों और केवल तभी जब उक्त पद का प्रभार संभालने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति उपलब्ध न हो। (पैरा 5)

आगे कहां कि, अब यह मुद्दा बना हुआ है कि क्या कोई सार्वजनिक हित है जो रेखांकित उद्देश्य होगा या क्या किसी लोक सेवक को यह पूछने पर पुनर्नियुक्ति दी जानी है, जैसा कि नियम 143 के अनुसार, सेवानिवृत्ति 58 वर्ष की आयु में आने वाली है और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है।

(पैरा 22)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि, यदि कोई प्रतिधारण है, जैसा कि देखा गया है, तो इसका अर्थ केवल लोक हित में और असाधारण परिस्थितियों में और मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से होगा।फाइल के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह पुनः नियोजन का मामला है।

(पैरा 23)

आगे कहा कि, इस प्रकार, स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को प्रतिवादी नंबर 4 के कारण छोटा कर दिया गया है और वह अपनी वरिष्ठता के बावजूद मुख्य अभियंता के पद के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार से वंचित हो रहा है।कर्मचारी का उच्च पद पर पदोन्नति अर्जित करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका कर्मचारी अपनी वरिष्ठता और अपने सह–कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए इंतजार करता है।केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या 4 अपनी उपलब्धियों पर खुद को बढ़ावा देने में समर्थ रहा है, जिसे राज्य भी उस स्तर पर कोई असाधारण या असाधारण

क्षमता नहीं मानता था, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा, जैसा कि चर्चा की गई है।यह लिखित कथन में लिए गए रुख से भी स्पष्ट होगा, और कोई भी बाद का सुधार जो अब 11.07.2017 के बाद हुआ है, लिखित कथन दाखिल करने के बाद, प्रारंभिक चरण में होना था।यह भी तय सिद्धांत है कि यदि आदेश कारणों की बात नहीं करते हैं, तो बाद में, उस हद तक एक शपथ पत्र दायर करके ऐसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अब किया गया है, ताकि प्रतिवादी संख्या 4 के मामले में सुधार किया जा सके।

(पैरा 30)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविदात्मक नियुक्तियाँ करने और विशेष पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करने का राज्य का अधिकार बहुत हद तक उसकी शक्ति के भीतर है, लेकिन जब ऐसी संविदात्मक नियुक्तियाँ की जाती हैं जो अन्यथा प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित होती हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है और यह केवल जनहित में किया जाना है, तो कारण आवश्यक रूप से सामने आने चाहिए।

(पैरा 40)

आगे कहा कि, परिणामस्वरूप, राज्य के खिलाफ इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि किसी लोक सेवक को पुनः नियुक्ति देने के समय किसी भी लोक हित की अनुपस्थिति में में दर्ज किया गया है किसी भी उत्कृष्ट योग्यता की अनुपस्थिति में में, वैधानिक नियमों के विशिष्ट प्रतिबंध को देखते हुए, पूछताछ में पुनः रोजगार नहीं दिया जा सकता है।

(पैरा 44)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, परिणामस्वरूप, यह न्यायालय कार्रवाई किए बिना और हुई त्रुटि सरशियोरेराई के बिना नहीं रह सकता है और तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 6 को दिए गए दूसरे विस्तार सहित सभी तीन प्रतिवादी के विस्तार आदेश को रद्द कर दिया जाता है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रतिवादी अपने पुनर्नियुक्ति पर पदोन्नति के दौरान जो भी वित्तीय लाभ प्राप्त किए हैं, उन्हें बनाए रखने के हकदार होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पदों के खिलाफ काम किया था।

(पैरा 45)

करण नेहरा, अधिवक्ता,

सीडब्ल्यूपी–6527–2017 और सीडब्ल्यूपी–16384 2017 में याचिकाकर्ताओं के लिए।मोहित गर्ग, अधिवक्ता,

सी. डब्ल्यू. पी.–16016–2017 में याचिकाकर्ता के लिए।

हरीश राठी Sr. DAG ., हरियाणा।

DR. Surya प्रकाश, अधिवक्ता,

उत्तरदाता–अनूप चौहान के लिए।

पुनीत गुप्ता, अधिवक्ता,

प्रतिवादी के लिए–रमेश कुमार।

हरसीमरान सिंह सेठी, अधिवक्ता,

प्रतिवादी–प्रदीप रंजन के लिए।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) यह निर्णय सी. डब्ल्यू. पी.–6527,16016 और 16384–2017 वाली 3 रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।हालाँकि, आदेशों को निर्देशित करने के लिए, तथ्यों को लिया गया है

ॅब्–6527–2017 शीर्षक त्.ज्ञ.टमतउं और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

(2) विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या किसी लोक हित की अनुपस्थिति में में और किसी लोक सेवक को पुनर्नियुक्ति देने के समय दर्ज की गई किसी बकाया योग्यता की अनुपस्थिति में में, क्या वैधानिक नियमों में विशिष्ट बाधा को देखते हुए कि सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना है, पूछने पर इसकी अनुमति है।

(3) याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 01.03.2017 के आदेश को चुनौती दी अनुलग्नक 414 / पी –8, 02.03.2017 (अनुलग्नक पी–10) और दिनांक 29.04.2016 (अनुलग्नक पी–12) का आदेश, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को एक मामले में मुख्य अभियंता के पद पर और प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के मामले में अधीक्षण अभियंता के पद पर सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।परिणामस्वरूप, यह भी राहत मांगी जाती है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को मुख्य अभियंता और याचिकाकर्ता संख्या 2 को अधीक्षण अभियंता के पद के लिए नियमों के अनुसार विचार किया जाए, क्योंकि वे पदोन्नति के लिए पूरी तरह से पात्र हैं और विभाग में अपने संबंधित संवर्गों की वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर हैं।

(4) यह उनका अनुरोधित मामला है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 एक अधीक्षण अभियंता के पद पर काम कर रहा है और याचिकाकर्ता संख्या 2 से 7 कार्यकारी अभियंता के पदों पर काम कर रहे हैं और वरिष्ठता सूची के अनुसार, उनकी पदोन्नति निजी–प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की क्रमशः मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पदों से सेवानिवृत्ति के बाद होनी थी।प्रतिवादी संख्या 4, जिसे 28.02.2017 पर सेवानिवृत्त होना था, को दिनांकित 01.03. 2017 (अनुलग्नक पी–8) के विवादित आदेश के माध्यम से संवर्ग पद पर फिर से नियुक्त किया गया है।इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 5 को 28.02.2017 पर अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उसे भी 01ध02.03.2017 (अनुलग्नक पी–10) के आदेश के अनुसार फिर से नियुक्त किया गया है।इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 6 भी अधीक्षण अभियंता के पद से 30.04.2016 पर सेवानिवृत्ति के लिए देय था, लेकिन उसे भी एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक की पुनर्नियुक्ति हरियाणा इंजीनियर सेवा, समूह ए, लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग अधिनियम, 2010य एचसीएस (सामान्य) नियम 2016य पीडब्ल्यूडी संहिता और राज्य की पुनर्नियोजन नीतिध्अनुदेश दिनांक 02.02.2016 (अनुलग्नक पी–4 और पी–5) के प्रावधानों का उल्लंघन है।प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त निर्देशों की अनदेखी करके और निर्धारित उचित प्रक्रिया को पारित करके, कैडर पदों पर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को फिर से नियुक्त किया है, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत होने और उससे प्राप्त होने

वाले लाभों में देरी करके वंचित कर दिया है और चुनने और चुनने की नीति को अपनाया है।

(5) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि पुनः नियोजन केवल उस स्थिति में किया जाना है जहां जनहित हो और असाधारण परिस्थितियां मौजूद हों और केवल तभी जब कोई सक्षम व्यक्ति उक्त पद का प्रभार संभालने के लिए उपलब्ध न हो।मंत्रिपरिषद को प्रस्ताव देने से पहले उक्त विभाग से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि उक्त कर्मचारियों की कोई उपलब्धता नहीं है या कैडर में सक्षम अधिकारियों की कमी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुनर्वित्त देने से पहले प्रतिवादी No. 2– विभाग और सक्षम प्राधिकारी/मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त ऐसा कोई उपलब्धता प्रमाण पत्र नहीं था और इसलिए उक्त कार्रवाई मनमाने तरीके से की जाती है।फाइलों को सेवानिवृत्ति की महत्वपूर्ण तिथि से कम से कम 3 महीने बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को कम कर दिया गया है और उत्तरदाता संख्या 1 से 3 तक द्वारा पारित किया गया है और प्रतिवादी–विभाग द्वारा कभी भी कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया था कि प्रस्तावित पुनः नियुक्ति विभाग में तुलनीय वरिष्ठता के अन्य अधिकारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।इस प्रकार, मामला यह था कि निजी–प्रत्यर्थियों के पदों को लागू सेवा नियमों के अनुसार योग्यता–सह–वरिष्ठता के अनुसार केवल पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था और इसलिए, याचिकाकर्ता प्रभावित हो रहे थे।

(6) याचिकाकर्ता नंबर 1 की सेवानिवृत्ति आईडी 1 पर होनी थी और वह विभाग में सबसे वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता थे और उन्हें कभी भी मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं मिलेगी क्योंकि वे प्रतिवादी नंबर 4 की अनुबंध अवधि समाप्त होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे।इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 5 को पुनर्नियुक्ति दिए जाने के कारण, यह याचिकाकर्ता संख्या 2 से 7 के साथ गंभीर अन्याय कर रहा था।यह भी माना जाता है कि लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग के इंजीनियरों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति राज्य में सड़कों, पुलों और भवनों की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनिवार्य है और इन सभी कार्यों की योजना या तो घर में बनाई गई है या विशेषज्ञ सलाहकारों से ली गई है और सेवा में विस्तार देने के लिए कोई असाधारण या असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं।तदनुसार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी–6

कोली) दिए थे।), पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए कि वे प्रतिवादी संख्या 4 के पुनः नियोजन के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं और उक्त प्रतिवादी का सेवा रिकॉर्ड केवल 'औसत' था।इसी तरह, याचिकाकर्ता संख्या 2 से 6 द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दिए गए थे।रिलायंस को पुनर्नियुक्ति के नोटिंग शीट पर यह प्रस्तुत करने के लिए रखा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी और यह भेदभावपूर्ण और मनमाने तरीके से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कनिष्ठों के प्रचार के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं।उक्त मुद्दे पर निर्देशों को मनमाने तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था क्योंकि फाइल को विधायक के अनुरोध पर मुख्यमंत्री के कार्यालय से मुख्य अभियंता के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो पूरी तरह से निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ था।

(7) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि समेकित निर्देश दिनांकित 02.02.2016 (अनुलग्नक पी –5) 58 वर्ष की आयु के बाद हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सेवा में विस्तारध्पुनः रोजगार के अनुदान के संबंध में जारी किया गया था।रिलायंस को दिनांक 15.01.1990 के निर्देशों पर रखा गया था कि असाधारण परिस्थितियों में, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा मंत्रिपरिषद से इन निर्देशों में छूट प्राप्त करने के बाद सेवा में विस्तारध्पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।यह भी स्वीकार किया गया है कि इस मामले पर विचार किया गया है कि भविष्य में, निर्देशों में छूट देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और मुख्यमंत्री को मामला प्रस्तुत करने से पहले मुख्य सचिव की सलाह ली जाएगी, ताकि इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जा सके।दिनांक 08.04.2015 के निर्देशों का संदर्भ दिया गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग और इंजीनियरिंग विभागध्इंजीनियर सार्वजनिक उपक्रम ऐसे मामलों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल की अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकते हैं।तदनुसार, राज्य का मामला यह था कि अधिकांश विभाग इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और पुनर्नियुक्ति पर लिए गए व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पूर्व–कार्योत्तर अनुमोदन का अनुरोध करते हैं और पूर्व–कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में मुख्य सचिव के कोई निर्देश नहीं हैं।यदि प्रशासनिक विभाग किसी मामले को पुनर्नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझता है, तो वह उसे उस अधिकारी की

सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 2 महीने पहले मुख्य सचिव को भेज सकता है और विभाग सरकारी निर्देशों के अनुसार पुनर्नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी करेगा।

(8) यह रुख अपनाया गया कि निजी–प्रतिवादी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 6 की पुनर्नियुक्ति की पूर्व–कार्योत्तर मंजूरी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से प्राप्त हो गई थी और उत्तरदाता संख्या 4 और 5 के मामलों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पूर्व–कार्योत्तर अनुमोदन के लिए भेजा गया था।मंत्रिपरिषद की मंजूरी का भी इंतजार था क्योंकि वित्त विभाग और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी।यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के मानदंडों को पूरा किया।इस प्रकार, कुल मिलाकर और सार में, राज्य ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि दिनांकित आई. डी. 1 लागू होगा और प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में मंजूरी आर. के. वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य प्राप्त कर ली गई है। मुख्य सचिव से, जबकि मंत्रिपरिषद से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और यहां तक कि वित्त विभाग और मुख्य सचिव ने भी प्रतिवादी संख्या 4 और 5.

(9) 13.07.2017 पर दायर किए गए अनुगामी शपथ पत्र में, प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को सही ठहराने का प्रयास किया गया है कि वह मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हरियाणा राज्य में हरित सड़कों की अवधारणा पेश की थी।काम प्रगति पर था और इसलिए, हरित सड़कों के आगे के विकास के लिए अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता थी।यह अनुमान लगाया गया था कि उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में 2 साल का अनुभव और साथ ही अधीक्षण अभियंता के रूप में 9 साल का अनुभव था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 1 को अधीक्षण अभियंता के रूप में केवल साढ़े तीन साल का अनुभव था और उन्हें 30.11.2017 पर सेवानिवृत्त होना है और इसलिए, उनकी जगह लेना जनहित में नहीं होगा क्योंकि उन्हें कुछ अनुभव की आवश्यकता होगी।वह नवंबर, 2017 में सेवानिवृत्त होंगे और उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत करने से कोई जनहित नहीं होगा।नतीजतन, यह अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रतिवादी की देखरेख में 5600 किलोमीटर का काम प्रगति पर है और सरकार 2019 तक काम करने की योजना बना रही

है और इसलिए, इस स्तर पर सेवाओं को वितरित नहीं किया जा सका है।उक्त प्रतिवादी को पिछले कुछ वर्षों से 'उत्कृष्ट' एसीआर से भी सम्मानित किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 1 'अच्छा' और 'बहुत अच्छा' एसीआर अर्जित कर सकता था। मुख्य अभियंता के पदों के लिए स्वीकृत संवर्ग संख्या केवल 6 है जिसमें 4 स्थायी और 2 उन्नत पद शामिल हैं और कुल 10 अधिकारी मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे और अधिशेष मुख्य अभियंता को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।कैडर की संख्या में अधिकता थी और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के तहत आई. डी. 1 पर आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि किसी भी अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई खाली पद की अनुपस्थिति में पर प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को वापस भेजा जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, जिससे और अधिक नाराजगी और दिल की जलन होगी।याचिकाकर्ता संख्या 1 को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इससे प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं पैदा होंगी।

(10) प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपने उत्तर में यह याचिका दायर की कि विभाग में मुख्य अभियंताओं के केवल 4 स्वीकृत पद थे, जिनके खिलाफ प्रतिवादी सहित 10 मुख्य अभियंता काम कर रहे थे और इसलिए याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते। उत्तर में प्राप्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को प्रचलित निर्देशों के अनुसार संसोधित किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने समग्र अभिलेखध्प्रदर्शन पर विचार करने के बाद, एक वर्ष की अवधि के लिए मुख्य अभियंता के पद पर पुनः नियुक्ति का आदेश दिया था।इस बात से इनकार किया गया कि ऐसा हरियाणा इंजीनियर सेवा, समूह ए, लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग अधिनियम, 2010य एचसीएस (सामान्य) नियम, 2016य पीडब्ल्यूडी संहिता और पुन–रोजगार नीतिधनिर्देश दिनांक 02.02.2016 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया था और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया गया था और सक्षम अधिकारियों ने मामले को संसाधित किया था और यहां तक कि असाधारण परिस्थितियों का भी उल्लेख किया था और पुनः नियुक्ति का आदेश दिया था।यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 सबसे वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता था, लेकिन याचिका यह थी कि वह अधिकार के मामले में मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति का दावा नहीं

कर सकता था और 10 से अधिक अभियंता 4 स्वीकृत पदों के खिलाफ काम कर रहे थे।यह भी प्रस्तुत किया गया कि तीन–चार मुख्य अभियंता विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गए थे और याचिकाकर्ता संख्या 1 की नवंबर, 2017 की सेवानिवृत्ति की तारीख का कोई महत्व नहीं था।

(11) इसी तरह, उत्तरदाता संख्या 5 और 6 ने अपने संयुक्त लिखित जवाब में याचिका दायर की कि याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा 01.05.2016 से पदोन्नति के लिए मांगी गई राहत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके तत्काल वरिष्ठ–श्री च्.ज्ञ.वीं को 2 प्रतिवादी को पुनः नियुक्ति देने की कोई शिकायत नहीं थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के तहत विशिष्ट प्रावधान थे कि लोक हित और असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए किसी कर्मचारी को मंत्रिपरिषद की मंजूरी से फिर से रोजगार दिया जा सकता है।दिनांक 1 के निर्देशों में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत चल रही तकनीकी परियोजनाओं की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए विस्तारध्पुनः नियोजन की अनुमति दी जा सकती है।निर्देशों में प्रावधान किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में, मंत्रिपरिषद से इन निर्देशों में छूट प्राप्त करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया में ढील दी जा सकती है और उक्त निर्देशों के खंड 6 का संदर्भ दिया गया था।रिट याचिका के साथ संलग्न टिप्पणियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बाद पुनः नियोजन की अनुमति दी गई थी और संलग्नक आर–5ध्1 और आर–5ध्2 में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की चल रही परियोजनाओं के लिए संदर्भ दिया गया था।निर्देशों को चुनौती नहीं दिए जाने के कारण, विस्तार को चुनौती नहीं दी जा सकी।

(12) आगे की स्थिति यह थी कि अधीक्षण अभियंता (सिविल) के 15 स्वीकृत संवर्ग पद थे और 18 आर. के. वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य थे। 2 पूर्व कैडर पदों के खिलाफ अनुबंध के आधार पर काम कर रहे प्रतिवादी सहित काम करने वाले अधीक्षण अभियंता।भले ही याचिकाकर्ता संख्या 3 से 8 को पदोन्नत किया जाना था, वे केवल 15 स्वीकृत कैडर पदों के खिलाफ पदोन्नति का दावा कर सकते थे, उससे आगे नहीं।16 अधीक्षण अभियंता (सिविल) स्वीकृत पदों के खिलाफ काम कर रहे थे और अधिक थे और इसलिए, उन्हें कोई अधिकार नहीं था।याचिकाकर्ता संख्या 2 पहले से ही 06.04.2017 (अनुलग्नक आर–5ध्4) पर पदोन्नत था और इसलिए, रिट याचिका खारिज होने योग्य थी।अस्थायी वरिष्ठता–सूची

के अनुसार, तीन और व्यक्ति याचिकाकर्ता संख्या 2,3 और 7 से वरिष्ठ थे और फिर भी, याचिकाकर्ताओं को उक्त पदों के खिलाफ पदोन्नत नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ एक कर्मचारी था, जो वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता के रूप में काम कर रहा था।प्रतिवादी की पुनर्नियुक्ति के बाद, 8 कार्यकारी अभियंताओं को अधीक्षण अभियंताओं के पद पर पदोन्नत किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 2 से 8 का यह तर्क कि उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को कम कर दिया गया था, आत्यन्तिक रूप से गलत और गलत है।उन अधीक्षण अभियंताओं का विवरण, जिन्हें 23.06.2016 के बाद पदोन्नत किया गया था, तदनुसार दिया गया था।यहां तक कि जब प्रतिवादी संख्या 6 को 01.05.2016 से पुनर्नियुक्ति दी गई थी, तब भी पहले से ही 16 अधीक्षण अभियंता थे और इसलिए याचिकाकर्ता संख्या 3 से 8 तक पुनर्नियुक्ति से प्रभावित नहीं हो सके क्योंकि वे भी बहुत बाद में सेवानिवृत्त होने वाले थे और सेवानिवृत्ति की तारीखों का उल्लेख किया गया था।इस बात से इनकार किया गया कि किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया गया था और संबंधित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के अनुसार पुनः नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।यह भी दलील दी गई कि पीडब्ल्यूडी संहिता एक सांविधिक संहिता नहीं थी और पुनर्नियुक्ति वैध थी।नतीजतन, यह प्रार्थना की गई कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(13) सी. डब्ल्यू. पी.–16384–2017 में, अनुगामी का आदेश दिनांक 27.04.2017/01.05. 2017 (अनुलग्नक पी–11) जिसके तहत श्री प्रदीप रंजन–प्रतिवादी संख्या 6 को दूसरी बार 01.05.2017 से 30.04.2018 में फिर से नियुक्त किया गया है, चुनौती के दायरे में है, क्योंकि इसे सी. डब्ल्यू. पी.–6527–2017 विचाराधीनता रहने के दौरान पारित किया गया था।याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2016 के अनुसार पदोन्नत करने के लिए एक और प्रार्थना की गई है।श्री प्रदीप रंजन द्वारा उन्हें दिए गए दूसरे विस्तार के संबंध में दायर लिखित बयान में यह अनुरोध किया गया था कि रोहतक में सड़कों और अन्य प्रमुख कार्यों के निर्माण की निगरानी के लिए यह जनहित में और 2016 के नियमों के अनुपालन में एक वर्ष के लिए था।प्रतिवादी प्रत्यर्थी के साथ–साथ उपदान निधियों को भी सेवानिवृत्ति लाभ पहले ही जारी किए जा चुके थे और वेतन भी समायोजित करके तय किया गया था और पैंशन को अनुकूल बनाकर एक निश्चित समय–सीमा के

भीतर काम को निष्पादित आदेश के लिए प्रतिवादी द्वारा शुरू किए गए चल रहे उच्च तकनीकी विनिर्देशों की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई थी।कार्य का निष्पादन लगभग 4 महीने में पूरा किया जाना था और प्रतिवादी का कार्यकाल पूरा होने से पहले पूरा होने की संभावना थी।निर्वाचित प्रतिनिधि को क्षेत्र के विकास को देखने और सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था और इसलिए, जनहित में सिफारिश की गई थी ताकि काम प्रभावित न हो।उक्त प्रतिवादी कई परियोजनाओं को पूरा करने में शामिल रहा था और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और वह बहुत अधिक अनुभवी अधीक्षण अभियंता था।जो याचिकाकर्ता पदोन्नति का दावा कर रहे थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था और इसलिए राज्य के विवेक से उत्तरदाता प्रतिवादी को फिर से नियुक्त किया गया था।2016 के नियम जो बाद में लागू हुए थे, दिशानिर्देशों पर सर्वोच्चता रखते थे और याचिकाकर्ताओं ने कभी भी प्रतिवादी की पुनः नियुक्ति के संबंध में कोई शिकायत नहीं की और न ही उनका कोई अधिस्थिति था और न ही कोई अन्य वरिष्ठ अधिस्थिति उपलब्ध था।अधीक्षण अभियंताओं के केवल 15 संवर्ग पद थे और 16 व्यक्ति मूल पदोन्नति में काम कर रहे थे और 3 अधीक्षण अभियंता प्रतिनियुक्ति पर थे और कोई भी पद खाली नहीं था।पुनर्नियुक्ति अनुबंध के आधार पर थी और उक्त पदोन्नति के लिए कोई कैडर पद उपलब्ध नहीं था और याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति को अवरुद्ध करने का कोई सवाल ही नहीं था।याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति स्थापित करनी थी और अर्जित करनी थी और उसके बाद ही उनके पास अधिस्थिति होगा क्योंकि सभी कैडर पदों पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था और अगर पुनर्नियुक्ति को अलग कर दिया जाता, तो भी याचिकाकर्ताओं को कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी।इसी तरह, अनंत कुमार गर्ग द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी.–16016–2017 में, बाद के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें श्री प्रदीप रंजन को दूसरा विस्तार दिया गया है, इसके अलावा निजी–उत्तरदाताओं के पुनः नियोजन को चुनौती दी गई है और पुनः रोजगार के लिए विचार के अधिकार का दावा किया गया है।

(14) श्री करण नेहरा ने तदनुसार तर्क दिया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 और नियम 143 के नियम 8 (26) और (73) पर भरोसा करते हुए पुनः नियोजन केवल जनहित और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, यह प्रस्तुत करने के

लिए कि जनहित और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था।उन्होंने हरियाणा पीडब्ल्यूडी संहिता का भी उल्लेख किया है, जो संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है और दिनांकित 02.02.2016 (अनुलग्नक पी–5) प्रदान करते है कि 58 वर्ष की आयु के बाद हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सेवा में विस्तारध्पुनर्नियुक्ति, यह प्रस्तुत करने के लिए कि पुनर्नियुक्ति के मामलों को महत्वपूर्ण तिथि से कम से कम 3 महीने तक संसाधित किया जाना है।केवल किसी भी विकल्प की अनुपस्थिति में में और असाधारण परिस्थितियों में, पुनः नियोजन किया जाना है और पूर्व–कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति नहीं थी।तदनुसार, उन्होंने नोट करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया कि फाइलों को कैसे संसाधित किया गया था और जिसमें प्रासंगिक निर्देशों को ध्यान में रखा गया था, कि सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति को रोक दिया जाएगा और विशेष रूप से याचिकाकर्ता संख्या 1 को संदर्भ दिया गया है कि वह 30.11.2017 पर सेवानिवृत्त होने वाले थे और उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

(15) यह भी बताया गया कि राज्य ने अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करते समय इस मामले में विपरीत दिशा ले ली थी। सरकार को संबोधित दिनांक 31.03.2017 (अनुलग्नक पी–17) का भी संदर्भ दिया गया कि उप–मंडल अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के फीडर कैडरों से एक प्रतिनिधित्व था कि पुनः नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पदोन्नति की संभावना समाप्त हो गई थी और सक्षम अधिकारियों की कोई कमी नहीं थी।इसी तरह प्रतिवादी संख्या 6 श्री प्रदीप रंजन के मामले में टिप्पणी का संदर्भ दिया गया था, जिन्हें 01.05.2017 से 30.04.2018 (अनुलग्नक पी–8) तक दूसरा विस्तार दिया गया है, यह दिखाने के लिए कि कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी, जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया था और केवल मुख्यमंत्री के शीर्ष स्तर पर अनुमोदन के कारण, फिर से रोजगार का आदेश दिया गया था।

(16) तदनुसार, के. जी. नानचहल बनाम पंजाब राज्य में खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था कि सेवाध्पुनर्नियोजन में विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में होना था और यह ''स्पॉइल सिस्टम'' का मामला था जहां पुनर्नियोजन किया गया था और निजी–उत्तरदाताओं को जारी रखने की अनुमति देकर अवैधता को कायम नहीं रखा जा

सकता था।केवल इसलिए कि निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से एक सिफारिश आई थी, जिसे बाद में सहकारिता विभाग के मंत्री के रूप में प्रभार दिया गया था, दर्ज की गई संतुष्टि की अनुपस्थिति में में विस्तारध्पुनः नियुक्ति को उचित नहीं ठहराएगा।यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 4 को सड़क कार्यों में तेजी लाने के लिए एक सर्कल का प्रभार दिया गया था और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता था कि वह पदोन्नति के दायरे को अवरुद्ध नहीं कर रहा था या कि उन्हें केवल एक पूर्व–कैडर पद पर नियुक्त किया गया था।

(17) प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता डॉ. सूर्य प्रकाश ने प्रस्तुत किया कि पदोन्नति के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं थे और 9 मुख्य अभियंता पहले से ही काम कर रहे थे और संवर्ग में केवल 4 पद थे और उनमें से 2 का उन्नयन किया गया था और कोई रिक्ति नहीं थी और राज्य द्वारा की गई याचिका का उल्लेख किया कि 11.04.2017 पर निर्णय लिया गया था कि मुख्य अभियंता के पद पर आगे कोई पदोन्नति नहीं होनी थी।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त प्रतिवादी उच्च योग्य था और इसलिए, वैध कारण थे और जनहित पर, अनुबंध के आधार पर पुनः रोजगार का आदेश दिया गया था।

(18) इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पुनीत गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि पर्याप्त लोक हित था जिसके कारण, पुनर्नियुक्ति की गई थी और मंत्रिपरिषद की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह सेवा में प्रतिधारण का मामला नहीं था और असाधारण परिस्थितियों का खंड केवल वहीं लागू होगा जहां सेवा में प्रतिधारण था।यह दिखाने के लिए कि याचिकाकर्ता संख्या 2 को लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था, दिनांक 1 के आदेश का भी संदर्भ दिया गया था और इसलिए, वाद हेतुक अब उसके पास नहीं था।अन्य याचिकाकर्ता संख्या 3 से 8 कनिष्ठ थे और न तो उनके द्वारा कोई आवेदन या दावा किया गया था और उनके पास पुनर्नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति उठाने का कोई अधिस्थिति नहीं था।दाखिल किए गए लिखित बयान में मेज पर यह दिखाने के लिए संदर्भ दिया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 2 से वरिष्ठ एक व्यक्ति था जिसे जब प्रतिवादी संख्या 5 को फिर से रोजगार दिया गया था तो वह कभी व्यथित नहीं हुआ था।नतीजतन, 2016 के नियमों का संदर्भ दिया गया था जो 19.07.2016 पर लागू हुए थे, यह प्रस्तुत करने के लिए कि यह अनुबंध के आधार पर पुनः रोजगार का मामला था।रिलायंस को शीर्ष के फैसले पर भी

रखा गया था। झारखंड राज्य बनाम भादेय मुंडा और अन्य 2 में केवल विचार का अधिकार था और किसी भी मौजूदा रिक्ति की अनुपस्थिति में में, यह याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं देगा और केवल पदोन्नति का अवसर सेवा की शर्त नहीं थी।

(19) प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पेश अधिवक्ता श्री हरसीमरनजीत सिंह सेठी ने इसी तर्ज पर प्रस्तुत किया और नियम 8 (26) और (73) का उल्लेख किया कि यह प्रतिधारण का मामला नहीं था, बल्कि पुनः नियोजन और सार्वजनिक आधार का मामला अच्छा कारण था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी और इसलिए, 2016 नियमों की सर्वोच्चता होगी और कार्यकारी निर्देश केवल पूरक थे।तदनुसार, उन्होंने यह प्रस्तुत करने के लिए नियम 8 (73) का उल्लेख किया कि यह सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद लोक हित में दिए गए पुनर्नियुक्ति का मामला था और इसलिए, तर्क दिया गया कि नियम 143 के तहत, इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना था और मंत्रिपरिषद की मंजूरी के साथ, बिना किसी आधार के था और प्रस्तुत करता है कि कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं थी।यह उनका मामला था कि अधीक्षण अभियंताओं के केवल 15 कैडर पद थे जिनमें 16 व्यक्ति काम कर रहे थे और भले ही प्रतिवादी को विस्तार से वंचित किया जाए, लेकिन इससे याचिकाकर्ताओं को मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुबंध नियुक्ति थी और परिणामस्वरूप, उन्होंने फारूक अमीन बनाम पंजाब राज्य और अन्य 3 में एक खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया कि निर्देशों में कानून का कोई बल नहीं था और वे केवल प्रशासनिक प्रकृति के थे। इसी तरह, नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ पर रखा गया – अन्य 4 कि दिशानिर्देश लागू करने योग्य नहीं थे और नीति कानून नहीं है।इसी तरह, टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ 5 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा गया था कि ऐसी कोई मनमानी नहीं थी और इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी थी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई अवैधता या तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी। इसी तरह, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 6 को यह तर्क देने के लिए रखा गया कि न्यायालयों को

पदों के सृजन के मुद्दे पर कदम नहीं उठाना चाहिए और नियुक्तियां कार्यकारी और विधायी कार्य हैं और न्यायिक संयम का पालन किया जाना चाहिए।

(20) मूल अभिलेख राज्य द्वारा पारित आदेशों के सम्मान में प्रस्तुत किया गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले की आवश्यकताएँ और नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामलों को कैसे संसाधित किया गया है, जो लागू होंगे।तथ्य यह है कि मुख्य मामले में 29.04.2016 (अनुलग्नक पी–12) दिनांकित आदेश के संबंध में, प्रथम वर्ष के लिए प्रतिवादी संख्या 6 को दिए गए पुनर्नियुक्ति के संबंध में मुद्रा समाप्त हो गई है।हालाँकि, रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक और पुनः नियुक्ति आदेश पारित किया गया है।

27.04.2017 प्रतिवादी के पक्ष में जो CWP–16384–2017 में चुनौती का विषय है।सम तिथि के आदेश (अनुलग्नक आर–4ध1) के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया था कि दूसरे वर्ष का पुनः नियोजन रोहतक में विभिन्न नियमों और शर्तों पर एलिवेटेड सड़कों और सार्वजनिक कार्यों (भवन और सड़क विकास), हरियाणा से संबंधित अन्य प्रमुख कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जनहित में 01.05.20176 से 30.05.2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर है।खंड (प•) के अनुसार, उक्त प्रतिवादी सरकारी आवास में रहने का भी हकदार है, जैसा कि उसे लाइसेंस शुल्क पर अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रूप में उपलब्ध है, जो उस पद पर सेवा करते समय काटा जा रहा था।खंड (•अ) के अनुसार, पुनर्नियुक्ति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और वित्त विभाग की सहमति और अनुमोदन और मंत्रिपरिषद की मंजूरी के अधीन थी।अन्य दो विस्तार पहले ही नए नियमों के लागू होने के बाद किए जा चुके थे और पुनर्नियुक्ति आदेश अनुबंध के आधार पर हैं और इसलिए, 2016 के नियम प्रासंगिक होंगे।नियम 8 (26) और (73) और नियम 143 निम्नानुसार हैं:

"नियम 8 (26) ''सेवा में विस्तार'' का अर्थ है सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद या अन्यथा सार्वजनिक हित में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में प्रतिधारणय

(73) "पुनर्नियुक्ति का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक हित में पुनर्नियुक्ति।

143. (1) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह अपने लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है या उसके द्वारा मूल या कार्यवाहक क्षमता में रखे गए पद के लिए, जैसा भी मामला हो।हालांकि, एक सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि एक महीने की पहली है, वह निर्धारित आयु प्राप्त करने पर पिछले महीने के अंतिम दिन दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा।सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की आयु कर्मचारियों के सभी समूहों के लिए अड़तालीस वर्ष है, सिवाय निम्नलिखित के जिनके लिए वही साठ वर्ष है:–

(i) विकलांग कर्मचारी जिनकी न्यूनतम अक्षमता 70 प्रतिशत और उससे अधिक है।

(ii) नेत्रहीन कर्मचारीय

(iii) समूह 'डी' कर्मचारीय और आर. के. वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(iv) न्यायिक अधिकारी।

किसी भी सरकारी कर्मचारी को लोक हित और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा।

टिप्पणी 1. एक आँख वाले कर्मचारी को इस नियम के उद्देश्य से अंधे या विकलांग व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 2. जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला हो तो उस महीने की 7 तारीख को एक कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा जिसमें वह सेवानिवृत्त होने जा रहा है और ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति तुरंत प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को भेजी जाएगी।

(2) पीडब्ल्यूडी (बी एंड बी) में कोई इंजीनियर–इन–चीफ नहींआर) सिंचाई विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुनर्नियुक्ति के बिना, पांच साल से अधिक के लिए पद धारण करेंगे, लेकिन इस पद पर पुनर्नियुक्ति जितनी बार हो सके और प्रत्येक मामले में

ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जो पांच साल से अधिक न हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी तय करेः

बशर्ते कि पुनर्नियुक्ति की अवधि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख से आगे नहीं बढ़ेगी।

टिप्पणी करें।— निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद एक सरकारी कर्मचारी को बनाए रखने के लिए सक्षम हैं:–

लोक हित में और सेवानिवृत्ति की आयु के बाद असाधारण परिस्थितियों में एक सरकारी कर्मचारी को बनाए रखने की शक्तियाँ।	प्रशासनिक विभाग	मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के साथ अधिकतम दो वर्षों के अधीन पूर्ण शक्तियाँ।

(21) इसी तरह, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 का नियम 23 इस प्रकार हैः

"23. (1) कोई भी सरकारी कर्मचारी हरियाणा सरकार के तहत किसी भी विभाग या संगठन में वेतन के अलावा फिर से नियुक्त होने और पेंशन प्राप्त करने की दृष्टि से सेवानिवृत्त नहीं होगा।

(2) एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसे सेवा में फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां यह लोक हित में और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ विशुद्ध रूप से अस्थायी क्षमता में अत्यंत आवश्यक है।सरकारी कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु के बाद पुनः नियोजन नहीं किया जाएगा।सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर दी गई सेवा पेंशन के लिए योग्य नहीं होगी।"

(22) प्रतिवादी न. 3 को फिर से नियुक्त करने के आदेश इस प्रकार हैंः

"हरियाणा के राज्यपाल ने श्री को फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया है। अनूप चौहान को लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग, चंडीगढ़ में एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध

के आधार पर मुख्य अभियंता (सड़क) के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 01.03.2017 से 28.02.2018।

2. नियम और शर्तें बतौर मुख्य अभियंता के रूप में अनूप चौहान को बाद में जारी की जाएगी।

ए. एल. ओ. के. एन. आई. जी. ए. एम. ने चंडीगढ़ सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को हरियाणा का 27.02.2017 बताया

लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग,

चंडीगढ़।"

"हरियाणा के राज्यपाल ने श्री को फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया है। रमेश कुमार, अधीक्षण अभियंता (सिविल), करनाल, लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग, चंडीगढ़ में अनुबंध के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 01.03.2017 से 28.02.2018 तक और वह अपनी पुनर्नियुक्ति से पहले पोस्टिंग के अपने अंतिम स्थान पर बने रहेंगे, यानी अधीक्षण अभियंता, करनाल सर्कल, लोक निर्माण (B & R),

करनाल

2. नियम और शर्तें। रमेश कुमार को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रूप में बाद में जारी की जाएगी।

ए. एल. ओ. के. एन. आई. जी. ए. एम. ने चंडीगढ़ सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को हरियाणा का 01.03.2017 बताया

लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग, चंडीगढ़।"

"हरियाणा के राज्यपाल ने श्री को फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया है। प्रदीप रंजन को लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग, चंडीगढ़ में एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रूप में, निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर तत्काल प्रभाव से:—"

(23) अभिलेख पर गौर किए जाने के बाद, एक तथ्य जो स्पष्ट है वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड–1 भाग–1 के नियम 3.26 के तहत डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2017 और प्रत्यर्थी संख्या 6 के मामले में 30.04.2016 पर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए सेवानिवृत्ति आदेशों और नियम 8 (73) के संयुक्त अध्ययन से, यह पुनः नियोजन का मामला है जो उक्त प्रतिवादी के साथ किया गया है।

(24) अब यह मुद्दा बना हुआ है कि क्या कोई सार्वजनिक हित है जो रेखांकित उद्देश्य होगा या क्या किसी लोक सेवक को यह पूछने पर फिर से रोजगार दिया जाना है, जैसा कि नियम 143 के अनुसार, सेवानिवृत्ति 58 वर्ष की आयु में आने वाली है और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है।

(25) प्रतिधारण, यदि कोई हो, जैसा कि देखा गया है, का अर्थ केवल सार्वजनिक हित में और असाधारण परिस्थितियों में और मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के साथ होगा।फाइल के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह पुनः नियोजन का मामला है।हालाँकि, जिन परिस्थितियों में पुनर्नियुक्ति के लिए कहा गया है, उन्हें पढ़ना दिलचस्प होगा।प्रतिवादी संख्या 4 के मामले में, जो 28.02.2016 पर सेवानिवृत्त होने वाले थे, उन्होंने 2 साल के लिए सेवा में विस्तार के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।उक्त आवेदन इस प्रकार हैः

"मैं, अनूप चौहान, एतद्द्वारा प्रस्तुत करता हूँ कि मैं 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 28.02.2017 पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ।मैं 01.07.2015 के बाद से मुख्य अभियंता (सड़कें) के रूप में कार्य कर रहा हूं।इससे पहले मैंने नवंबर 2006 से जून 2015 तक मुख्य कार्यालय में एस. ई. (भवन) के रूप में काम किया।

मुझे इमारतों और सड़कों के निर्माण का व्यापक अनुभव है।वर्तमान में मैं हरियाणा में 24,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क (एसएचध्एम. डी. आर.ध्ओ. डी. आर.) की देखभाल कर रहा हूं और सड़कों की मरम्मतध्सुधार के लिए रे.1560 करोड़ और 2016–17 के लिए रे. 1818 करोड़ के कार्य कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संभाला है।4700 डब्ल्यू. पी. 2015–16 की तुलना में किलोमीटर सड़कों की मरम्मतध्सुधार किया गया है और डब्ल्यू. पी. 2016–17 की तुलना में 5600 किलोमीटर सड़कों में सुधार किया जा रहा है।

इसके अलावा 1580 किलोमीटर लंबे ओ. डी. आर. को 36.6 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर किया जा रहा है।सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई है।मेरे द्वारा किए गए सड़क सुधार कार्यों की सभी ने सराहना की है।मेरे काम को हमेशा मेरे वरिष्ठों द्वारा सराहा गया है और मैंने कई उत्कृष्ट रिपोर्ट अर्जित की हैं।मेरे खिलाफ किसी भी तरह की जांच लंबित नहीं है।

मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मुझे सेवा में विस्तार दिया जाता है, तो मैं समर्पण और समर्पण के साथ विभाग की सेवा करूंगा।"

(26) इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 09.02.2017 पर एक आवेदन प्रस्तुत किया कि वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 28.02.2016 पर सेवानिवृत्त होने जा रहा है और उसे 60 वर्ष तक का विस्तार दिया जा सकता है।उनका अनुरोध इस प्रकार हैः

इंजीनियर–इन–चीफ,

हरियाणा, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर शाखा,

चंडीगढ़

ज्ञापन छव.34451 दिनांकित 09.02.2017

विषयःसेवा की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का अनुरोध।

साहब,

पूरे सम्मान के साथ, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैं 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 28.02.2017 पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूं।यह अनुरोध किया जाता है कि सेवा में 58 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक यानी 28.02.2019 तक विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।

आभार व्यक्त करते हुए,

आपका एस. डी.\–

रमेश कुमार

अधीक्षण अभियंता, करनाल सर्कल पीडब्ल्यूडी बी एंड आर बी. आर., करनाल''

(27) प्रतिवादी संख्या 6 के मामले में, जो 30.04.2016 पर सेवानिवृत्त हुए थे, रोहतक के एक विधायक ने रोहतक शहर में एलिवेटेड सड़कों के रूप में 3 प्रमुख परियोजनाओं के कारण 2 साल की अवधि के लिए अपनी सेवा में विस्तार का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें निष्पादित किया जा रहा था और जिन्हें पूरा होने में 2ध्3 साल लगेंगे।मुख्यमंत्री कार्यालय में 24.12.2015 पर अनुरोध प्राप्त हुआ था।वही नीचे पढ़ा गया हैः

"उपःसेवा में विस्तार

मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि श्री. प्रदीप रंजन, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर बीआर, रोहतक विभाग में सबसे वरिष्ठ एसई हैं।एस. प्रदीप रंजन एस. ई. एन. सी. आर. पी. बी., रेलवे और केंद्रध्राज्य सरकार के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र की कई अन्य परियोजनाओं के साथ रोहतक शहर में 150 करोड़ रुपये की लागत वाली उन्नत सड़क, लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत वाली कच्चा बेरी रोड आर. ओ. बी. और उन्नत रोहतक–गोहाना रेल लाइन जैसी तीन प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। विभाग।वह इन परियोजनाओं के निष्पादन में संभावित समस्याओं से परिचित हैं और स्थानीय आबादी के साथ समन्वय में इससे निपटने में सक्षम हैं।सबसे अनुभवी और सबसे वरिष्ठ एसई होने के नाते, इन परियोजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण वह इन परियोजनाओं के अनुमोदन और निष्पादन को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरा होने में 2 से 3 साल लगेंगे।तदनुसार, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि श्री की सेवा अवधि निर्धारित की जाए। प्रदीप रंजन एस. ई. को 1.5.2016 से 30.4.2018 तक बढ़ाया जा सकता है ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिष्ठित परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

एसडी/–

मनीष ग्रोवर

विधायक, रोहतक ''(28) प्रतिवादी संख्या 6 के मामले में, जब से वह 26.04.2017 पर सेवा में अपना 1 साल का विस्तार पूरा कर रहे थे, उसी विधायक से एक और अनुरोध प्राप्त

हुआ था, जो अब 24.03.2017 पर सहकारिता मंत्री का पद संभाल रहे थे, जिसकी अनुमति दी गई थी और सेवा में दूसरा विस्तार दिया गया था, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"एस. प्रदीप रंजन, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, बी. आर. वर्तमान में रोहतक में तैनात विभाग के सबसे वरिष्ठ एसई हैं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की चार प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जैसे कि रोहतक शहर में 152 करोड़ रुपये की लागत वाली एलिवेटेड सड़क, लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत वाली कच्छा बेरी रोड एलिवेटेड आरओबी, रोहतक–गोहाना एलिवेटेड रेलवे लाइन 320 करोड़ रुपये की लागत वाली और एन. सी. पी. आर. बी., रेलवे और केंद्रध्राज्य सरकार के साथ 20 करोड़ रुपये की लागत वाली लखन माजरा आरओबी। विभाग।रोहतक शहर में उन्नत सड़क परियोजना प्रगति पर है और इस 430 की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ होने के उनके ईमानदार प्रयासों के कारण बिना किसी बाधा के इसका निर्माण किया जा रहा है।

वह दिनांक 30.04.2017 को पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उपरोक्त परियोजनाओं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कई अन्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रदीप रंजन, एस. ई. की सेवाओं की आवश्यकता है।

2. इसलिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्रदीप रंजन S.E. की सेवाध्पुनः नियुक्ति में विस्तार दिया जाए। ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र, रोहतक की उपर्युक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और इसके लिए एक वर्ष के लिए यानी 01–5–2017 से 30–4–2018 तक की मंजूरी दी जा सकती है।"

"हरियाणा के राज्यपाल को यह आदेश देते हुए खुशी हो रही है कि श्री. प्रदीप रंजन, अधीक्षण अभियंता (सिविल), 01.05.2017 से 30.04.2018 में अपनी पुनर्नियुक्ति पर रोहतक सर्कल लोक निर्माण रोहतक के अधीक्षण अभियंता के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

ये आदेश डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2017 से केवल 30.04.2018 तक प्रभावी होंगे।

ए. एल. ओ. के. एन. आई. जी. ए. एम. ने चंडीगढ़ सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को हरियाणा का 27.04.2017 बताया

लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग,

चंडीगढ़।"

(29) प्रतिवादी संख्या 4 को दी गई पुनर्नियुक्ति के मामले में टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उक्त सज्जन के विस्तारध्पुनर्नियुक्ति से उन वरिष्ठतम अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो मुख्य अभियंता के पद के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद मुख्य अभियंता की प्रतीक्षा कर रहे थे।याचिकाकर्ता नंबर 1 श्री आर. के. वर्मा को विशिष्ट संदर्भ दिया गया था कि वह 13.11.2017 पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उन्हें मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।दिनांक 1 के निर्देशों के संबंध में इंजीनियर–इन–चीफ द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों पर जहां आवश्यक अनुभव रखने वाले उपयुक्त अधिकारियों की उपलब्धता थी और विभाग में पदोन्नति के लिए पर्याप्त अधिकारी हैं और इससे अन्य संबंधित अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कहीं भी चर्चा नहीं की गई।तदनुसार, आर. के. वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा 'आई. डी. 1' पर रखे गए टिप्पणियों के अनुसार, एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति दी जाए और आदेश जारी किए जाएं और मुख्य सचिव, वित्त विभाग और मंत्रिपरिषद से भी कार्योत्तर मंजूरी ली जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव।इसके बाद मुख्यमंत्री और कार्य विभाग (बी एंड आर) के लिए संबंधित मंत्री से ढआई. डी. 1 पर मंजूरी ली गई और परिणामस्वरूप उक्त प्रतिवादी को जनहित का कोई संदर्भ दिए बिना या उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं के बारे में किसी भी तथ्य का उल्लेख किए बिना, या किसी भी निष्कर्ष को दर्ज किए बिना वापस रखा गया कि वह प्रणाली के लिए अपरिहार्य था और दूसरों की कीमत पर उसे बनाए रखने की आवश्यकता थी।उनके दिनांकित 28.03.2017 के नियमों और शर्तों ने उन्हें सरकारी सदन में पात्रता के समान लाभ और लाइसेंस शुल्क की अनुमति दी, जो मुख्य अभियंता (सिविल) के रूप में काटा जा रहा था, जिसकी पुष्टि उनके विशिष्ट नियम और शर्तों को तय करके और मुख्य सचिव के अनुमोदन के अधीन, दिनांकित 18.05.2017 के आदेश द्वारा की गई है।

(30) इस प्रकार, राज्य का रुख बहुत स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, श्री त.ज्ञ.टमतउं मुख्य अभियंता के पद के लिए नियमों और शर्तों को पूरा करता है और इसलिए, यह स्पष्ट

है कि उक्त याचिकाकर्ता को केवल पुनर्नियुक्ति के कारण उक्त पद पर पदोन्नति के लिए विचार के अधिकार से वंचित कर दिया गया है जो अब प्रतिवादी संख्या 4 को दिया गया है।जैसा कि देखा गया है, एक बाद के शपथ पत्र में, प्रतिवादी संख्या 4 के अनुभव को सही ठहराने का प्रयास किया गया है और दिनांक 1 के निर्णय पर भरोसा किया गया है कि किसी भी अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाना है।उक्त निर्णय से भी राज्य को कोई लाभ नहीं होगा।उसी के अवलोकन से पता चलता है कि मुख्य सचिव द्वारा आयोजित एक बैठक में, यह सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) किसी व्यक्ति को विदेश विभागध्ग्राहक में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत नहीं करेगा, क्योंकि बाद में विभाग के सबसे वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता को भेजा जाना था, जिसमें वह मुख्य अभियंता के पद पर काम कर सकता था और उसके प्रत्यावर्तन पर, अधीक्षक अभियंता के रूप में काम करना जारी रख सकता था, ताकि ऐसे अधिकारी को वापस करने की आवश्यकता न पड़े।11.04.2017 दिनांकित निर्णय इस प्रकार हैः

"विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

1. भविष्य में मूल विभाग अर्थात पी. एच. ई. डी. किसी भी ग्राहकधविदेशी विभाग की मांग पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए सी. ई. के पद पर किसी व्यक्ति को पदोन्नत नहीं करेगा और विभाग के सबसे वरिष्ठ एस. ई. को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, जहां वह मुख्य अभियंता के पद पर काम कर सकता है और विभाग में उसके प्रत्यावर्तन पर वह अधीक्षण अभियंता के रूप में काम करना जारी रख सकता है और ऐसे अधिकारी को वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

2. प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी का कार्यकाल कम से कम एक वर्ष का होना चाहिए और उस अधिकारी को सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।

3. भविष्य में, ग्राहक विभाग को प्रतिनियुक्ति पर किसी विशिष्ट अधिकारी के नाम की तलाश नहीं करनी चाहिए, जिससे मूल विभाग के लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है।"

(31) निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनहित के तत्व की कमी, पहली बार में, जिसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था, को वर्तमान मामले में उसी सचिव द्वारा कवर करने की मांग की गई है, जिन्होंने पहले लिखित बयान दायर किया था और यह स्वीकार किया गया था कि श्री मुख्य अभियंता के पद पर विचार करने के हकदार थे।उक्त सुधार स्पष्ट रूप से बाद के चरण में रिट याचिका विचाराधीनता होने के कारण और इस तथ्य के कारण किया गया है कि मुख्य सचिव ने स्वयं दिनांक 15.05.2017 के संचार के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को दिनांक 02.02.2016 के सरकारी निर्देशों के पैरा 4 (ब) (अपपप) के अनुसार मामले की फिर से जांच करने के लिए कहा।परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 की आवश्यकता और उत्कृष्ट प्रदर्शन और क्षमताओं पर अनुमोदन का एक नोट दर्ज किया है ताकि उसे याचिकाकर्ता संख्या 1 से ऊपर और ऊपर की स्थिति में रखा जा सके, जिसे इस उद्देश्य के लिए डाउनग्रेड किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई उपलब्धियों पर कुछ भी असाधारण ध्यान दें योग्य नहीं था।तैयार किए गए विस्तृत ध्यान दें में यह भी उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर अतिरिक्त शपथ पत्र 17.07. 2017 पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 को पहले से मौजूद पद पर पुनः नियुक्ति दी गई है और उसके लिए कोई पूर्व-संवर्ग पद नहीं बनाया गया था।इस प्रकार, इस पहलू से एक कारक स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ता संख्या 1 के प्रचार अधिकारों को अवरुद्ध करना जारी रखता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह 28.02. 2017 पर सेवानिवृत्त हो गया था। भारत संघ एक अन्य बनाम हेम राम चौहान और अन्य 7 में सर्वोच्चय न्यायालय ने माना कि पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारी स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार और उचित विचार की गारंटी है।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"38. यह एक स्वीकृत कानूनी स्थिति है कि योग्य कर्मचारियों का पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार वस्तुतः एक हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत उनके मौलिक अधिकार की गारंटी।अनुच्छेद 16 के तहत पदोन्नति के मामलों में निष्पक्ष विचार की गारंटी वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी से आती है।

39. प्रबंधक में, सरकारी शाखा प्रेस और ए. एन. आर. बनाम.डी. बी. बेलियप्पा-(1979) 1 एस. सी. सी. 477, सेवा विवाद के संबंध में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ,

एक अलग संदर्भ में हो सकती है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत दी गई गारंटी का सार ''कारण पर आधारित निष्पक्षता'' है (पैरा 24 पृष्ठ 486 देखें)।

40. इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की वैध अपेक्षाओं को सरकार के कृत्यों द्वारा विफल कर दिया गया है और यदि केंद्र सरकार की नहीं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से अनुचित कार्रवाई प्रतिवादी की पदोन्नति की संभावनाओं के मार्ग में बाधा बनी, जब इस तरह के विचार के लिए उचित रूप से विचार किया जाना था और देरी ने उन्हें इस तरह के विचार के लिए अयोग्य बना दिया है।अब सवाल जो इस न्यायालय की अंतरात्मा पर भारी पड़ रहा है, वह यह है कि इस विवाद को निष्पक्ष रूप से कैसे हल किया जाए।"

(32) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 4 के कारण संक्षिप्त रूप से बदल दिया गया है और वह अपनी वरिष्ठता के बावजूद मुख्य अभियंता के पद के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार से वंचित हो रहा है।कर्मचारी का उच्च पद पर पदोन्नति अर्जित करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका कर्मचारी अपनी वरिष्ठता और अपने सह–कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए इंतजार करता है।केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या 4 अपनी उपलब्धियों पर खुद को बढ़ावा देने में समर्थ रहा है, जिसे राज्य भी उस स्तर पर कोई असाधारण या असाधारण क्षमता नहीं मानता था, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा, जैसा कि चर्चा की गई है।यह लिखित कथन में लिए गए रुख से भी स्पष्ट होगा, और कोई भी बाद का सुधार जो अब 11.07.2017 के बाद हुआ है, लिखित कथन दाखिल करने के बाद, प्रारंभिक चरण में होना था।यह भी तय सिद्धांत है कि यदि आदेश कारणों की बात नहीं करते हैं, तो बाद में, उस हद तक एक शपथ पत्र दायर करके ऐसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अब किया गया है, ताकि प्रतिवादी संख्या 4 के मामले में सुधार किया जा सके।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 8 पर भरोसा रखा जा सकता है

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कारणों का उल्लेख आदेश में ही किया जाना चाहिए। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"8. दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब कोई सांविधिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर आदेश देता है, तो इसकी वैधता को इस प्रकार उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और शपथ पत्र के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है।अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश, जब तक वह किसी चुनौती के कारण अदालत में आता है, तब तक बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है।हम यहाँ गोरधनदास भंजी के मामले में जे. बोस की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं:''सार्वजनिक रूप से किए गए सार्वजनिक आदेश, एक वैधानिक प्राधिकरण के प्रयोग में, अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के प्रकाश में नहीं माने जा सकते हैं जो आदेश देते हैं कि उनका क्या मतलब था, या उनके दिमाग में क्या था, या उनका क्या करने का इरादा था।सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और इनका उद्देश्य उन लोगों के कार्य और आचरण को प्रभावित करना होता है जिन्हें वे संबोधित किए जाते हैं और आदेश में उपयोग की गई भाषा के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।ऑर्डर पुरानी शराब की तरह नहीं हैं जो उम्र बढ़ने के साथ बेहतर होती जा रही हैं।"

(33) उक्त दृष्टिकोण का हाल ही में शीर्ष द्वारा पालन किया गया था जिनके नाम है।

दीपक बाबरिया और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 9, पंजाब राज्य बनाम मैसर्स बंदीप सिंह और अन्य 10 और कुमार, आई. पी. एस. बनाम भारत संघ और अन्य 11 में न्यायालय और जिसमें यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य को शपथ पत्र दाखिल करके अपने रुख को पूरक या सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(34) के. जी. नानचहल (उपरोक्त) की खण्ड पीठ नियम 3.26 और नियम 7,17 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, पुनः नियोजन के दायरे पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी स्थिति का अस्तित्व अनिवार्य रूप से तथ्य का विषय होना चाहिए न कि निष्कर्ष का।अभिलेख को अपने लिए बोलना चाहिए और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण या आधार होने चाहिए जो अभिलेखों के सामने स्पष्ट होना चाहिए।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य पर एक सचेत और तर्कपूर्ण निर्णय लेने का अधिक बोझ है और वह भी एक व्यापक जनहित में नियम 3.26, जनहित शब्द का पर्यायवाची शब्द

होगा।सार्वजनिक हित में पुनः नियोजन की आवश्यकता को निजी या राजनीतिक हितों द्वारा प्रायोजित नहीं किया जाना था।रिलायंस को, तदनुसार, पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 7,17 पर भी रखा गया था, कि नियुक्ति विशुद्ध रूप से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर एक अस्थायी क्षमता पर होनी थी।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 23 में ''जनहित में अत्यंत आवश्यक'' का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, जहां पुनः नियोजन किया जाना है।

(35) इस प्रकार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मुख्य अभियंता का पद अधीक्षण अभियंता के पोषण संवर्ग के साथ एक पदोन्नति पद है और याचिकाकर्ता संख्या 1 के वैध अधिकार पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए और उसे प्रतिवादी संख्या 4 के उक्त पुनर्नियुक्ति के कारण अपने ऐसे अधिकार से छोटा नहीं किया जा सकता है, जिसे सरकार के प्रासंगिक स्तरों पर बिना किसी विशेष ज्ञान के प्रयोग के पदोन्नत किया गया है और न ही याचिकाकर्ता संख्या 1 के कानूनी अधिकार, जिसे छीन लिया जा रहा था, पर कभी चर्चा की गई थी, या उसके योग्यता स्तर, जिसे बाद के अवसरों पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने कम करने की मांग की है।परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को दिनांकित 01.03.2017 (अनुलग्नक पी–8) के आदेश को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है।

(36) इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 5 के मामले में, जैसा कि रिकॉर्ड से देखा गया है, उससे दिनांकित 09.02.2017 का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं के अलावा विभिन्न अन्य कार्यकारी इंजीनियरों द्वारा भी 23.02.2017 पर अभ्यावेदन दायर किए गए थे, जिसमें तालिका में Sr. No. 6 से 8 पर उल्लिखित व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें लिखित बयान में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो विचार के क्षेत्र में हैं और उनमें से एक को अब 06.04.2017 पर पदोन्नत किया गया है। दिनांक 02.05.2017 के संचार के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि मुख्य सचिव ने प्रस्ताव के बिंदुवार जवाब के बारे में स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण मांगा था जो दिया गया है और इस तथ्य के बावजूद उक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है और लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) करनाल में अधीक्षण अभियंता के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति से पहले अपने नियुक्ति के अंतिम स्थान पर कार्य करना जारी रखता है। इस

बात से इनकार नहीं किया गया है कि यह एक कैडर पद है और इस प्रकार, उन व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को अवरुद्ध करता है जो इस तथ्य के बावजूद कतार में हैं कि वे याचिकाकर्ता हैं या नहीं।उनके मामले को निपटाते समय, कार्यालय ने यह ध्यान दें रखा था कि यदि विस्तारध्पुनर्नियुक्ति दी जाएगी, तो यह पदोन्नति के क्रम में आने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति को अवरुद्ध कर देगा। अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया था और मामले को बाद के समय में मुख्य सचिव और वित्त विभाग को भेजा गया था, मंत्री से मंजूरी लेने के बाद 27.02.2017 और मुख्यमंत्री से 28.02.2017 पर इस बात पर ध्यान दिया गया था कि मुख्य सचिवध्वित्त विभाग और मंत्रिपरिषद द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति करते समय पूर्व–कार्योत्तर मंजूरी ली जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई नई पोस्टिंग नहीं दी जाएगी क्योंकि वह पहले से ही कार्यरत थे, जैसा कि ऊपर देखा गया है।फाइल के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि अधिकारी से चार स्पष्टीकरण बुलाए गए थे और 27.04.2017 पर एक टिप्पणी डाली गई थी कि लंबित सभी स्पष्टीकरणों को 31.05.2017 द्वारा सकारात्मक रूप से संसाधित किया जाना चाहिए।परिणामस्वरूप, 21. 06.2017 पर अनुमोदन प्राप्त किया गया था और पुनः नियोजन की शर्तें जारी की गई थीं।उक्त फाइलों में उक्त प्रतिवादी के पुनर्नियुक्ति की शर्तों और उसकी उत्कृष्ट क्षमताओं और क्षमताओं के लिए किसी भी तरह की समझदारी और अत्यधिक आवश्यकता या सार्वजनिक हित को नहीं दिखाया गया है, जो नियम स्वयं प्रदान करता है और परिणामस्वरूप, उक्त पुनर्नियुक्ति को भी के. जी. नानचहल (उपरोक्त) में खण्ड पीठ की टिप्पणियों को देखते हुए बरकरार नहीं रखा जा सकता है। खण्ड पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैंः

"11. यह व्याख्या का एक तय नियम है कि नकारात्मक भाषा वाले नियमों को सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे नियमों की उदार व्याख्या से ऐसे नियमों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की निराशा हो सकती है।इसलिए, सरकार को ऐसी स्थिति का सामना करना चाहिए जहां असाधारण परिस्थितियां मौजूद हों और सक्षम प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को बनाए रखने या फिर से नियुक्त करने के लिए सार्वजनिक हित में विचार करें।ऐसी स्थिति का अस्तित्व अनिवार्य रूप से तथ्य का विषय होना चाहिए न कि

अनुमान का।अभिलेख को इस संबंध में अपने लिए बोलना चाहिए।इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण या आधार अभिलेखों के सामने स्पष्ट होने चाहिए।

12. प्रत्येक सरकारी निर्णय जो अपने कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, सामान्य रूप से सोच और तर्क की सम्यक प्रक्रिया द्वारा लिया गया निर्णय होना चाहिए, और उस पर लिया गया निर्णय कर्मचारियों की सेवा की ऐसी स्थिति को विनियमित करने वाले कानून या नियमों के अनुरूप होना चाहिए।नकारात्मक शब्दों वाले नियम की कठोरता से बचने के लिए, राज्य पर एक जागरूक और तर्कपूर्ण निर्णय और वह भी व्यापक जनहित में।उपरोक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला निर्णय न्यायिक समीक्षा या जांच के लिए खुला होगा।

XXXX

XXXX

XXXX

14. सरकार द्वारा जारी उपरोक्त प्रावधानों और निर्देशों का संचयी प्रभाव यह है कि:–

i.) किसी भी सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) नहीं रखा जा सकता है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को तब तक फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि –क) असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद हैं और यह जनहितध्सार्वजनिक आधार पर है कि ऐसे कर्मचारी को सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है, जारी रखा जाता है या फिर से नियुक्त किया जाता है।

ख) सरकार को सरकारी निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और उसका पालन करते हुए ऐसा निर्णय लेना चाहिए।

XXXX

XXXX

XXXX

21. असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व के अलावा, पुनः नियोजन केवल सार्वजनिक आधार के लिए हो सकता है।सार्वजनिक आधार एक ऐसा शब्द होगा जो ''जनहित'' अभिव्यक्ति का पर्याय होगा।राज्य को जनता के साथ–साथ विभाग के व्यापक हित में पुनः रोजगार की आवश्यकता पर विचार करना होगा और इसका निर्णय निजी या राजनीतिक हितों द्वारा प्रायोजित नहीं होना चाहिए।सरकार एक ओर जनहित में पुनः नियोजन की आवश्यकता और दूसरी ओर अन्य पात्र उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने या उनकी अनुपलब्धता को संतुलित करने के लिए बाध्य है।यह दृष्टिकोण अकेले सरकार द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुसार होगा।इस प्रकार, एक सरकारी कर्मचारी को फिर से नियुक्त करने का सरकार का निर्णय, पूर्व में निर्दिष्ट द्वंद्व मानदंडों की अम्लीय कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

22. सरकार इस तरह का निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है।निर्णय व्यक्तिपरक है लेकिन डेटा आधारित, प्रामाणिक और सार्वजनिक हित में और साथ ही राज्य की सेवा के प्रशासन के हित में होना चाहिए।नकारात्मक रूप से विलंबित नियमों में निहित निषेध राज्य की ओर से पुनः नियोजन के प्रावधानों का सहारा नहीं लेने की आवश्यकता का पर्याप्त संकेत है। आम तौर पर असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक आधारों को दिखाने का भार राज्य पर होता है और इसे अभिलेख से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।दया नंद बनाम के मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ।

हरियाणा राज्य, 1995 (1) एससीटी 423 (पी एंड एच) (एफबी):1995(2) हाल ही में

सेवा निर्णय पृष्ठ 55 ने नियम 3.26 के संदर्भ में सरकार के निर्देशों का अर्थ लगाते हुए और जनहित के दायरे की जांच करते हुए कहा कि यह केवल एक अपवाद है कि दर्ज किए जाने वाले कारणों और असाधारण परिस्थितियों में सेवा में विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए।नियम 3.26 (घ) में प्रयुक्त वाक्यांश पूरी तरह से अलग है, हालांकि उसमें भी जनहित का तत्व प्रमुख है।

23. वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 2 के विस्तारध्पुनर्नियुक्ति का एकमात्र आधार यह है कि काम चल रहा है और पूरा होने वाला है, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 राज्य के मुख्य वास्तुकार के रूप में प्रभारी था।उक्त प्रतिवादी के सेवा प्रोफाइल के आलोक में देखा गया

यह एकमात्र आधार शायद ही बड़े सार्वजनिक हित में कहा जा सकता है।इसे सार्वजनिक आधार नहीं कहा जा सकता है जैसा कि नियमों और विशेष रूप से सरकार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है।प्रत्यर्थी–राज्य ने स्वीकार्य रूप से योग्य उम्मीदवारों के मामलों पर विचार नहीं किया है।संबंधित अधिकारियों ने इस सवाल पर अपना ध्यान नहीं दिया कि विभाग में अन्य योग्य अधिकारी उपलब्ध हैं या नहीं।वास्तव में उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को केवल पूछने पर विस्तारध्पुनर्नियुक्ति प्रदान की।राज्य का यह रवैया निश्चित रूप से समानता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के संतुलन को सार्वजनिक हित के बजाय निजीध्व्यक्तिगत हित की ओर झुकाता है।

24. वास्तव में, नियमों और निर्देशों के नियमों और शर्तों के तहत अभिनिर्धारित बुनियादी अवयवों के संबंध में विवादित आदेश पूरी तरह से मौन हैं।विस्तार का आदेश, जो मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी से पहले भी जारी किया गया था, साथ ही साथ पुनर्नियुक्ति का आदेश, जो 29.6.2001 पर अनुमोदन के बाद जारी किया गया था, यानी उस तारीख के लगभग दो महीने बाद जिस दिन उक्त प्रतिवादी संख्या 2 को सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होना चाहिए था, दूर से भी यह नहीं बताता है कि ''सार्वजनिक हित या सार्वजनिक आधार'' अभिव्यक्ति का बहुत कम उपयोग होता है।

25. वर्तमान प्रकार के प्रशासनिक आदेशों को अधिक से अधिक सार्वजनिक हित की सेवा करनी चाहिए।इसे सार्वजनिक आधार पर पारित किया जाना चाहिए।उक्त अभिव्यक्ति व्यापक है और इसका इतना सीमित अर्थ नहीं हो सकता है कि क्योंकि केवल एक व्यक्ति कुछ कार्यों का प्रभारी है, इसलिए उसे उन कार्यों के पूरा होने तक जारी रहना चाहिए।

फाइल पर दर्ज कारणों और नियमों और निर्देशों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कोई न्यायोचित संबंध नहीं होना चाहिए।जल्द ही, हम इस बात पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि हमारे सामने पेश की गई फाइल पर विस्तारध्पुनर्नियुक्ति कैसे दी गई है, हालांकि लिखित बयान ऐसे किसी भी उचित आधार से रहित है।

26. सुनवाई के दौरान, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 3 सहित अन्य अधिकारियों में, अन्य सक्षम अधिकारी शामिल थे और वे सभी कार्यों को सीधे संभाल रहे थे जहां प्रतिवादी संख्या 2 शामिल था।यह भी विवादित

नहीं है कि अधिकारियों ने मुख्य वास्तुकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों को पूरा किया।उपरोक्त के आलोक में, हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में निश्चित योग्यता पाते हैं कि सरकार ने विशेष रूप से अपने दिनांकित 17.2.1967 के निर्देशों के खंड 3 (i) का उल्लंघन किया है।

27. आम तौर पर, इस संबंध में सरकार की शक्ति आत्यन्तिक होती है लेकिन नियमों या निर्देशों में दी गई शर्तों और सीमाओं के अधीन होती है।एक बार जब सरकार यह राय बना लेती है कि ऐसा करना जनहित में है, तो इस तरह की राय की शुद्धता को आम तौर पर अदालतों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।हालाँकि, यदि ऐसा निर्णय संपार्श्विक आधारों पर आधारित है, मनमाना है, या निर्देशों के नियमों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय के लिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।दूसरे शब्दों में, राज्य की प्रामाणिकता और उसके नियमों और निर्देशों का अनुपालन राज्य के लिए न्यायिक जांच से बाहर होने का दावा करने का आधार है।एक बार आदेश बंद हो जाने के बाद राज्य को ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि आदेश वास्तविक है और निर्देशों के अनुरूप है और जनहित में है। इस संबंध में संघ के मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है। भारत सरकार बनाम जे. एन. सिन्हा और एक अन्य, ए. आई. आर. 1971 सर्वोच्च न्यायालय 40 और मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इंद्र सेन जैन, 1998 (1) एस. सी. टी. 143 (एस. सी.):1998(1) हाल के सेवा निर्णय 70.

XXXX

XXXX

XXXX

35. सरकारी कर्मचारी की सेवा में विस्तार या पुनर्नियुक्ति पूर्व में बताए गए नियमों का अपवाद है।इस तरह के अपवादों की जड़ें असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व, सार्वजनिक आधार और राज्य द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन हैं।आदर्श स्थिति यह होगी कि ये तत्व किसी सरकारी कर्मचारी के डेटा आधारित अध्ययन और सेवा प्रोफाइल पर संतुष्ट हों ताकि राज्य की कार्रवाई में अधिक पारदर्शिता प्रदान की जा सके। ऐसे अनुपालन स्पष्ट रूप से

इस तरह की कार्रवाई में मनमानेपन के तत्व को समाप्त कर देगा।राज्य की कार्रवाई में मनमानी, विशेष रूप से जहां यह अन्य योग्य अधिकारियों को पदोन्नति पदों के लिए विचार के अधिकार से वंचित करती है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत को कम किया जाता है, कानून में राज्य की कार्रवाई को दूषित कर देगा।वर्तमान मामले में, इस संबंध में स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शुरू किए गए ध्यान दें को छोड़कर, राज्य की आवश्यकता, सार्वजनिक आधार, असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व और पुनः नियुक्ति के आदेश को उचित ठहराने के लिए पदोन्नति के लिए अन्य योग्य अधिकारियों की अनुपलब्धता जैसे बुनियादी तत्व प्रतिवादी–राज्य द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति हैं।सक्षम प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 के व्यक्तिगत हितों के लिए सार्वजनिक आधार या सार्वजनिक हित को स्पष्ट रूप से समझने में विफल रहा है।

36. ऊपर अभिलिखित कारणों के लिए और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 को मुख्य वास्तुकार, पंजाब के पद पर पुनः नियुक्त करने का आदेश पारित करते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न तो असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद थीं और न ही कोई सार्वजनिक आधार था।वास्तव में विवादित आदेश नियमों और सरकार द्वारा दिनांकित 17.2.1967 द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन और उल्लंघन करते हैं।आदेश मनमानेपन के दोष से ग्रस्त हैं और सेवा न्यायशास्त्र के स्वीकृत नियमों के खिलाफ हैं, विशेष रूप से, विभाग के मौजूदा उत्तराधिकार में उच्च पदों पर पदोन्नति से संबंधित मामलों में एक सरकारी कर्मचारी की वैध प्रत्याशा के संबंध में।इस प्रकार, हमें दिनांकित 27.4.2001 और दिनांकित 29.6.2001 के विवादित आदेशों को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है, जिन्हें हम इसके द्वारा रद्द करते हैं और अलग करते हैं।राज्य को कानून के अनुसार तुरंत उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

(37) प्रतिवादी संख्या 6 के मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहला विस्तार 2016 के नियमों के लागू होने से पहले 28ध्29.04.2016 पर दिया गया था और किसी को अनिवार्य रूप से पंजाब सिविल सेवा नियमों (जैसा कि हरियाणा में लागू होता है) के नियम 3.26 और नियम 7,17 पर वापस जाना होगा, जो निम्नानुसार हैः

" 3.26 (क) इस नियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख निम्नानुसार होगी, अर्थात्ः

(i) समूह ''ए'', ''बी'' और ''सी'' कर्मचारियों के मामले में अड़तालीस वर्षय और

((ii) समूह 'घ' के कर्मचारियों के मामले में साठ वर्षय

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार की राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग की सेवा को वार्षिक आधार पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि के भीतर एक विकल्प दिया जाए, जो विस्तार चाहता हैः

बशर्ते कि एक सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही विस्तार पर है, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर नया विकल्प भी देगाःबशर्ते कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी विस्तारित सेवा अवधि पूरी होने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा।हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में,

यदि राज्य सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा को उपरोक्त सीमा से आगे बढ़ा सकती है।

टिप्पणी 6.दृयह नियम पुनर्नियुक्त कार्मिकों पर लागू होता है और इन नियमों के खंड ** के अध्याय VII में नियम इस नियम में निर्धारित शर्तों के अधीन हैं।हालाँकि, इन नियमों के खंड II का नियम 7,17 अपनी रियायत और शर्तों की प्रकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी विशेष वर्ग में सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त पेंशन की प्राप्ति में इस नियम के बाहर रखता है और उस नियम में बताई गई शर्तों के अधीन रहता है जिसका अनुमोदन के प्रत्येक नवीनीकरण के साथ पालन किया जाना चाहिए।

7.17 एक सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसे सार्वजनिक आधार पर और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ विशुद्ध रूप से अस्थायी

क्षमता को छोड़कर, सरकारी राजस्व या स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा में फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा या नियुक्त किया जाना जारी नहीं रखा जाएगा।"

(38) इसी तरह, 2010 के नियमों में प्रावधान है कि 442 के सदस्य संबंधित संवर्ग की सेवा संबंधित पदों में से किसी के लिए पात्र होगी और नियम 9 (2) के तहत वरिष्ठता–सह–योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की जानी थी।अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने से पहले 3 साल की सेवा प्रदान करनी होती है और इसी तरह, एक कार्यकारी अभियंता को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के लिए पात्र होने से पहले 7 साल की सेवा प्रदान करनी होती है।नियम 21 में प्रावधान है कि सेवा के सदस्यों को सामान्य और विशेष नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जो सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए हो सकते हैं और इसके बाद बनाए जा सकते हैं।इसी तरह, सेवा में विस्तारध्पुनर्नियोजन के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा प्रसारित समेकित निर्देशों के अनुसार, पुनर्नियोजन के लिए सिफारिश करने के कारणों को लिखित रूप में कम करना होगा और प्रशासनिक विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे मुख्य सचिव को भेजे गए मामलों की तिमाही मंजूरी भेजें और पुनर्नियोजन के मामले को महत्वपूर्ण तिथि से कम से कम 3 महीने पहले प्रशासनिक सचिव तक पहुंचना होगा।खंड 4 (सी) (vii) के अनुसार केवल तभी जब अनुभवी हाथों की कमी हो और कोई विकल्प न हो, तो पुनः नियोजन किया जाना चाहिए और चुनने और चुनने की नीति से बचना चाहिए।इसी तरह, तुलनीय वरिष्ठता वाले व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और खंड 6 के अनुसार, मुख्यमंत्री को मामला प्रस्तुत करने से पहले मुख्य सचिव की सलाह ली जानी चाहिए ताकि इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जा सके, जो हमेशा प्राप्त किया जाना है और खंड 8 के अनुसार, यह नियमित रूप से नहीं होना चाहिए और इसे बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जानी चाहिए।प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैं:"4. सरकार. आई. डी. 2 के माध्यम से जारी निर्देश अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों अन्य बातों के साथ साथ बहुत सावधानीपूर्वक जांच और विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता पर जोर देना और यह सुनिश्चित करना कि इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन

किया जाए, शायद ही आवश्यक है।ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान नीति और प्रक्रिया नीचे दी गई हैः–

ए. ऐसे सभी मामलों में पुनर्नियोजन का सहारा लेने का कारण सिविल सेवा नियम, खंड के नियम 3.20 के तहत आवश्यक लेखन तक कम किया जाना चाहिए। ९, भाग ८।

ख. प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि वे अपने द्वारा स्वीकृत मामलों का त्रैमासिक विवरण मुख्य सचिव को भेजें।ये कथन होने चाहिए

पिछली तिमाही के लिए 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर और 15 जनवरी तक भेजा गया।

ग. (i) (ii) (iii) (vi) (v)

• पुनर्नियुक्ति जारीध्पुनर्नियुक्ति का मामला महत्वपूर्ण तिथि से कम से कम तीन महीने पहले संबंधित प्रशासनिक सचिव तक पहुंचना चाहिए।

• जब कोई विभाग अनुभवी हाथों की कमी का सामना कर रहा हो और पुनर्नियुक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं हो, तो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले सभी लोगों को पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो सेवा में बने रहने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य हैं या जिनके पास खराब सेवा रिकॉर्ड है।जहाँ तक संभव हो, चुनने और चुनने की नीति से बचना चाहिए।

• प्रशासनिक विभाग को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रस्तावित पुनर्नियुक्ति संबंधित विभाग में तुलनीय वरिष्ठता के अन्य संबंधित अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

5. सरकार के माध्यम से। निर्देश संख्या 32/226/4 जी. एस. आई., दिनांक 16.08.1983, यह निर्णय लिया गया कि अब से किसी भी कर्मचारी को सेवा में विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए या 58 वर्ष की आयु के बाद फिर से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

6. इसके बाद, सरकार द्वारा। निर्देश सं. 32/313/89&4GSI, दिनांक 15.01.1990 में कहा गया है कि असाधारण मामलों में, मंत्रिपरिषद से इन निर्देशों में छूट प्राप्त करने के बाद मुख्य सचिव द्वारा 58 वर्ष की आयु के बाद सेवाध्पुनर्नियुक्ति में विस्तार की अनुमति दी गई है।इस मामले पर आगे विचार किया गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उपरोक्त निर्देशों में छूट देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री को मामला सौंपने से पहले संबंधित विभाग द्वारा मुख्य सचिव की सलाह ली जाएगी ताकि इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जा सके।

7. इसके अलावा, सरकार द्वारा। अनुदेश सं. 33/4/91&4GSI, दिनांक 07.04.1991, इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुख्यमंत्रीध्राज्यपाल को मामला प्रस्तुत करने से पहले सेवा में विस्तारध्पुनर्नियोजन के निर्देशों में ढील देने के लिए मामले को C-M-/Governor के समक्ष रखने के लिए, मुख्य सचिव की पूर्व सलाह प्राप्त की जा सकती है। हमेशा के लिए।इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।यह भी कहा गया था कि 58 वर्ष की आयु से अधिक की सेवा में कोई पुनर्नियुक्ति या विस्तार नियमित रूप से नहीं दिया जाएगा।

8. एफ. डी. के पत्र संख्या 5/1/2012–1 बी एंड सी, दिनांक 04.07.2012 के माध्यम से, यह कहा गया था कि अब से, अधिकारियोंध्अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पुनः नियुक्ति के लिए कोई पूर्व–संवर्गध्अतिरिक्त पद नहीं बनाए जाएंगे और ऐसे पदों को उनके संवर्ग के स्वीकृत पदों के भीतर माना जाएगा।यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को नियमित रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जानी चाहिए।

9. एफ. डी. के पत्र सं. 5/1/2012&1B & C] दिनांक 29.05.2013 के माध्यम से, यह भी कहा गया था कि कई सेवानिवृत्त अधिकारियोंध्अधिकारियों की पुनः नियुक्ति के मामले पूर्व–संवर्ग पद बनाने के लिए वित्त विभाग को बार–बार भेजे जा रहे हैं जो ऊपर उल्लिखित पत्र सं. द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत हैं।वित्त विभाग का इरादा है कि उनके निर्देश संख्या 5/1/2012&1B & C] दिनांक 04.07.2012 को नीचे दिया गया हैः– "वित्त विभाग का मानना है कि कई सेवानिवृत्त लोगों को फिर से नियुक्त किया जा रहा है।वित्त

विभाग के पास दो विकल्प हैं– (i) व्यक्ति को फिर से नियुक्त करने के लिए एक नया पद बनाया जाए या (ii) सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा खाली किए गए मौजूदा पद (फिर से नियुक्त किए जाने के लिए) का उपयोग फिर से नियुक्त व्यक्ति के लिए किया जाए।वित्त विभाग ने दूसरा विकल्प चुना है क्योंकि प्रत्येक मामले में पुनर्नियुक्ति का अर्थ किसी भी मामले में सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ डालने वाले अतिरिक्त पद का सृजन होगा, यदि उस विभागध्स्थान पर काम पहले 'x' संख्या में कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, तो 'x + 1' व्यक्तियों का बिना किसी औचित्य के एक ही काम करना अनुचित होगा।इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि सेवारत कर्मचारियों का दबाव सभी और विभिन्न लोगों को फिर से नियुक्त करने से रोकेगा। सरकार ने संसाधनों पर दबाव और निरंतर राजस्व घाटे को देखते हुए नए पदों के निर्माण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।"

10. अब, सरकार द्वारा। निर्देश संख्या 34/08/2015&4GSI, दिनांक 08.04.2015 में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग और इंजीनियरिंग विभाग/इंजीनियरिंग पी. एस. यू. ऐसे मामलों में सार्वजनिक उपक्रम सेवानिवृत्ति के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आधार पर दो साल की अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकते हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि उनके विभागों के ऐसे मामलों पर अन्य बिंदुओं के आलोक में विचार किया जाए जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों में उल्लिखित हैं।

11. इसके अलावा, दिनांकित 08.01.1958 के निर्देशों के पैरा सी के उप–पैरा–वी में यह प्रावधान है कि पुनर्नियुक्ति जारी/पुनर्नियुक्ति का मामला महत्वपूर्ण तिथि से कम से कम तीन महीने पहले संबंधित प्रशासनिक सचिव तक पहुंचना चाहिए।लेकिन अधिकांश विभाग इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और पुनर्नियुक्ति पर लिए गए व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पूर्व–कारक अनुमोदन का अनुरोध करते हैं।यह स्पष्ट है कि पूर्व–कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय में कोई निर्देश नहीं हैं।इसलिए, मामले की जांच करने के बाद यदि एडी किसी मामले को पुनः नियुक्ति के लिए उपयुक्त मामला मानता है, तो वह उस अधिकारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 2 महीने पहले मामले को सी. एस. (जी. ए. डी. में) को भेज सकता है।संबंधित विभाग

को उपर्युक्त सरकार के अनुसार पुनर्नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी करने चाहिए। निर्देश दिए।

12. इसलिए आपसे अनुरोध है कि सख्त अनुपालन के लिए अपने नियंत्रण में काम करने वाले सभी संबंधितों के ध्यान में निर्देशों के इस समेकित सेट को लाएं।"

(39) इस प्रकार, उपरोक्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि समेकित निर्देशों के सभी उक्त खंडों को पूरी तरह से हवा में फेंक दिया गया था और निर्धारित प्रक्रिया का कभी पालन नहीं किया गया था और मुख्य सचिव के कार्यालय को लूप से बाहर रखा गया है और केवल पूर्व कार्योत्तर मंजूरी मांगी गई है।

(40) इस प्रकार, खण्ड पीठ की टिप्पणियों को दिए गए पहले विस्तार के संबंध में अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक आधारों के साथ–साथ असाधारण परिस्थितियों और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को पहली बार में विस्तार देते समय अधिदेश दिया गया था, जो नियम 7,17 के अनुसार नौकरी की अस्थायी प्रकृति के अलावा विचार का विषय भी था।ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 24.12.2015 पर निर्माण परियोजनाओं के लिए स्थानीय विधायक के कहने पर अनुरोध प्राप्त हुआ था।

दिनांक 11.02.2016 को 9 कार्यकारी अभियंताओं के अभ्योवेदन प्राप्त हुए से, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें बाद में 23.06.2016 के बाद पदोन्नत किया गया था और जिनका प्रतिवादी संख्या 5 के उत्तर के पैरा 11 में तालिका में उल्लेख किया गया है और6. याचिकाकर्ता संख्या 7 और 8 सहित 7 कार्यकारी इंजीनियरों से भी इसी तरह का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, जिसमें दिनांकित 02.02.2016 के निर्देशों और उल्लंघन और पिक एंड चॉइस नीति का उल्लेख किया गया था।28.03.2016 पर, इंजीनियर–इन–चीफ से एक संचार प्राप्त हुआ कि यह वरिष्ठतम कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पदोन्नति की कतार में हैं।इसके बाद 12.04.2016 दिनांकित इसी तरह का संचार किया गया।ध्यान दें को 15.02.2016 पर रखा गया था जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि वरिष्ठ कार्यकारी इंजीनियरों के पदोन्नति के रास्ते प्रभावित होंगे।तदनुसार, पदोन्नति के लिए देय व्यक्तियों के नाम सामने रखने की मांग की

गई थी, जबकि सामान्य शर्तों पर एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए मंजूरी दी जा रही थी। तदनुसार, दूसरे सबसे वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता निहाल सिंह की पदोन्नति के मामले को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि उन्हें एक रिक्ति के खिलाफ पदोन्नत किया जाएगा जो 30.04.2016 पर आ रही थी, जबकि इसी तरह, अरविंद कुमार को नीरज गुप्ता की रिक्ति के खिलाफ पदोन्नत किया जा सकता है, जो पहले से ही अधीक्षक अभियंता के रूप में कार्यरत थे और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे और उन्हें एच. एस. आर. डी. सी. में प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था। स्वीकृति केवल 26.04.2016 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दी गई थी और मंत्री द्वारा 27.04.2016 पर अनुमोदित की गई थी।एक बार फिर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रोहतक में चल रहे काम को जारी रखने में अधिकारी की योग्यता और अन्य अधिकारियों की असमर्थता, जो कि प्रस्ताव था, पर विधायक द्वारा कभी विचार नहीं किया गया।

(41) लागू नियमों के अनुसार, उस समय, असाधारण परिस्थितियाँ इस तथ्य के अलावा पूर्ववर्ती शर्त थीं कि कारणों को लिखित रूप में दिया जाना था, जो उनकी अभाव से स्पष्ट हैं।हालाँकि उक्त आदेश अब अपनी मुद्रा से बाहर हो गया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेकिन तथ्य यह है कि उक्त सज्जन को फिर से उसी विधायक से पुनर्नियुक्ति के लिए सिफारिश मिली है, जो अब एक मंत्री है, जिसे उसी तरीके से संसाधित किया गया था और तदनुसार रिपोर्ट दी गई थी, यह देखते हुए कि अधिकारी काफी मेहनती है और पिछले वर्षों के दौरान उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और उसकी ईमानदारी संदेह से परे है।इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 18.04.17 और मुख्यमंत्री से संख्या पर मंजूरी दिनांक 12.04.17 और दिनांक की कार्यालय सूचना के अनुसार उन्हें रोहतक में बने रहना था।यह भी ध्यान दिया जाना दिनांक 20.04.2017 चाहिए कि विशिष्ट कथन में आर. के. वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य हैं। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 एक संवर्ग पद के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह दिनांकित 14.07.17 सूचना का भी हिस्सा है कि प्रतिवादी संख्या 6 को भी पहले से मौजूद पद पर पुनर्नियुक्ति प्राप्त करना जारी रखना है और उसके लिए कोई पूर्व संवर्ग या अतिरिक्त पद नहीं बनाया गया है।

(42) इसी तरह, अनूप चौहान के मामले में, प्रतिवादी संख्या 6 की बाद की मंजूरी या असाधारण परिस्थितियों को उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं और इस तथ्य के बारे में देखा गया

कि वह परियोजना को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे।याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 संजीत कुमार और बलराज सिंह के अधिकारों को भी इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि उनके पास गैर–फील्ड स्टेशनों में अधिकतम सेवा नहीं थी और वे उच्च तकनीकी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं थे, इस तथ्य के अलावा कि अधीक्षक अभियंता का कोई खाली कैडर पद नहीं था और दिनांकित 11.04.2017 बैठक का भी फिर से संदर्भ दिया गया था, जिस पर ऊपर भी चर्चा की गई है। प्रतिवादी संख्या 4 के मामले में ऊपर चर्चा किए गए समान वैध कारणों के लिए, निजी–प्रत्यर्थियों के लिए असाधारण परिस्थितियों को उचित ठहराने और बनाने के लिए, रिट याचिकाओं विचाराधीनता रहने के दौरान कारणों की बाद की रिकॉर्डिंग, राज्य के लिए कोई लाभ नहीं होगी।संविदात्मक नियुक्तियाँ करने और विशेष पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करने का राज्य का अधिकार बहुत हद तक उसकी शक्ति के भीतर है, लेकिन जब ऐसी संविदात्मक नियुक्तियाँ की जाती हैं जो अन्यथा प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित होती हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है और केवल सार्वजनिक हित में ही की जानी चाहिए।

(43) इसी तरह की परिस्थितियों में बी में सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों में क्रमशः श्री निवास रेड्डी बनाम कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन और अन्य 12 ने कर्नाटक के शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड कर्मचारी संघ के निर्णयों को परेशान कर दिया। एकल पीठ और खण्ड पीठ यह देखते हुए कि उस मामले में मुख्यमंत्री ने इस आधार पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी कि अपीलार्थी का प्रबंध निदेशक के पीठ पर बने रहना अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि विश्व बैंक के साथ नए जल और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम बनाने के लिए बातचीत चल रही थी।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रशासनिक निर्देश जो अंतराल को भरने और सेवा की शर्तों को प्रभावित करने वाले वैधानिक नियमों के पूरक के लिए बनाए गए थे, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सरशियोरेराई के लिए बाध्यकारी और अपरिहार्य होंगे।

भारत संघ बनाम K-P-Joseph 13।नतीजतन, खण्ड पीठ के फैसले पर प्रतिवादी के लिए वकीलों की निर्भरता

फारुक अमीन (ऊपर) और नरिंदर कुमार माहेश्वरी (ऊपर)

कोई फायदा नहीं होगा।

(44) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन क्षेत्र में व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए विचार उक्त प्रतिवादी के पुनः नियोजन से सीधे प्रभावित हो रहा है और न ही लिखित बयान में इस बात से इनकार किया गया है कि उत्तरदाता संख्या 5 और 6 संवर्ग पदों पर काम नहीं कर रहे हैं।इस प्रकार, निजी–प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को, इस प्रकार, विचार का कोई अधिकार नहीं है, भी कोई बल नहीं होगा।जैसा कि देखा गया है कि विभिन्न व्यक्ति भी अपनी उचित शिकायतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।न्यायालय अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है कि महत्वपूर्ण वर्गों की सिफारिशों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 6 दूसरों की कीमत पर अपना दूसरा विस्तार प्राप्त करने में समर्थ रहा है।राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

बिहार बनाम उपेंद्र नारायण सिंह 14 प्रचलित के बारे में

''लूट प्रणाली' और वे संतति जिन्होंने राज्य और सार्वजनिक निकायों की सेवा संरचना के महत्वपूर्ण पहलुओं को खा लिया है, उन पसंदीदा लोगों के कहने पर जो शक्तियों के गलियारों में तार खींचते हैं और यही कारण है कि अनियमितताएं और अवैधताएं की जाती हैं और अनिवार्य रूप से न्यायिक समीक्षा के प्रयोग के लिए द्वार खोलते हैं, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होते हैं।

(45) जैसा कि टाटा सेल्युलर (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया द्वारा अन्याय को ठीक किया जाना है जहां निर्णय लेने की शक्ति को अवैध कहा जा सकता है।यह सही है कि न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठ रहा है और न्यायिक प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन यदि निर्णय लेने वाला स्वयं उन कारणों को नहीं बताता है जो नियम की आवश्यकताओं का हिस्सा हैं और जनहित के मुद्दे की कमी की कभी जांच नहीं की गई थी, तो न्यायालय किसी भी बेलगाम कार्यकारी कामकाज पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाएगा, क्योंकि राज्य केवल उचित तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है और समग्र रूप से लिए गए तथ्यों की कुल मिलाकर फिर से जांच करने की आवश्यकता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि निर्णय लेने के कारण निजी–प्रतिवादी ने अपने निजी हितों

को बढ़ावा दिया है, जिसे राज्य द्वारा अन्य कर्मचारियों की कीमत पर अनुमति दी गई है, प्रारंभिक चरण में बिना किसी रिकॉर्डिंग के कि उनके पास उच्च स्तर की बुद्धि और विशेष अनुभव था।

(46) परिणामस्वरूप, राज्य के खिलाफ इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि किसी लोक सेवक को पुनर्नियुक्ति देने के समय कोई लोक हित दर्ज नहीं किया गया है और इसी तरह, कोई बकाया योग्यता पाए जाने की अनुपस्थिति में में, वैधानिक नियमों के विशिष्ट प्रतिबंध को देखते हुए, पूछताछ में पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

(47) परिणामस्वरूप, यह न्यायालय हस्तक्षेप सरशियोरेराई और हुई त्रुटि को सुधारने के अलावा कदम नहीं उठा सकता है और तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 6 को दिए गए दूसरे विस्तार सहित सभी तीन प्रतिवादी के विस्तार आदेश को रद्द कर दिया जाता है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रतिवादी अपने पुनर्नियुक्ति पर पदोन्नति के दौरान जो भी वित्तीय लाभ प्राप्त किए हैं, उन्हें बनाए रखने के हकदार होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पदों के खिलाफ काम किया था।तदनुसार, प्रत्यर्थियों को एक अनिवार्य रिट भी जारी की जाती है कि याचिकाकर्ता छव.1—ौतप त्.ज्ञ.टमतउं को मुख्य अभियंता के पद के लिए उस रिक्ति के खिलाफ विचार किया जाएगा जो प्रतिवादी संख्या 4 के पुनः रोजगार आदेश को अलग करने के कारण आई है, जो कैडर पद पर कब्जा करना जारी रखा, जैसा कि ऊपर देखा गया है कि जिस तारीख से उन्हें गलत तरीके से पुनः नियुक्ति दी गई थी।उक्त अभ्यास को आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर तेजी से पूरा किया जाए।

(48) इसी तरह, याचिकाकर्ताओं (सी. डब्ल्यू. पी.—16384—2017 में) को भी अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिस तारीख से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को क्रमशः 02.03.2017 और 29.04.2017 के आदेशों के अनुसार पुनः नियुक्ति दी गई थी।

(49) नतीजतन, वर्तमान रिट याचिकाओं को उस हद तक अनुमति दी जाती है।सी. डब्ल्यू. पी.—16016—2017 में दावा की गई राहत की अनुमति दी जा रही रिट याचिकाओं को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को दिए गए पुनः रोजगार को देखते हुए, दूसरों को आवेदन

करने का मौका देकर पद का विज्ञापन करके याचिकाकर्ताओं को फिर से नियुक्त करने पर भी विचार करना निष्फल हो गया है।

(50) आधिकारिक फाइलों/अभिलेखों को उचित रसीद के तहत राज्य के वकील को वापस कर दिया जाना चाहिए।

पायल मेहता

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वायन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

राजीव गुप्ता

Translator, Bhiwani